झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प०नि०वि० / 07–योजना–56 / 2025 – 1736(S) दिनांक – 22/04/26

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषयः– **भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in lieu of existing L.C. No.-14/A/T km 268.520 from HWH at Jamtara-Karmatand-Laharjori road (MDR) at Jamtara District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/69) कार्य हेतु रू0 93,44,51,600/– (तिरानवे करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 41,99,81,600/– (इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध में।**

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए रू0 93,44,51,600/– (तिरानवे करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 41,99,81,600/– (इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस ROB कार्य हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RW/Ranchi/CRF/2021-22, dated 16.03.2023 से राशि रू0 46.77 करोड़ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो केवल कार्य मद के लिए है। कार्य मद की स्वीकृति राशि से 10% अधिक तक राशि का वहन MORT&H द्वारा किया जाना है तथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति पत्र के कंडिका–19 के आलोक में भू–अर्जन एवं अन्य मदों की राशि का वहन राज्य सरकार को स्वयं करना है। वर्त्तमान तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में सन्निहित प्रावधान निम्न हैः–

Sl. No.	Item of Work	Cost (Rs.)
1	Amount to be borne by MoRT&H	467700000.00
2	10% extra to be borne by MoRT&H	46770000.00
3	**Total**	**514470000.00**
4	T.S Civil Cost (with GST, L.C. Contingency, WCE, Q.C, Agency charge @ 1%, Supervision charge @ 3%, Maintenance charge @ 2.5% and Escalation charge @ 5% for 2 years)	653976569.11
	Govt. of Jharkhand will bear the cost of following items	
5	Difference of (4-3)	139506569.11
6	Land Acquisition	280000000.00
7	Utility Shifting	475000.00
	Grand Total (5+6+7)	**419981569.20**
	Say Rs.	**41,99,81,600.00**

क्रमांक 5 से 7 तक की कुल राशि रू0 41,99,81,600/– (इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र का वहन राज्य सरकार को करना है।

2. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष "मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय/उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग/ लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/ उप शीर्ष–03–पुल/ विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जामताड़ा होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, जामताड़ा से की जायेगी।

4. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगाः–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2026–27	रू0 4199.816 लाख	100%

5. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्व राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

23/04/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/07–योजना–56/2025 –1736(S) दिनांक –23/04/26

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता(याता0), पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

3. योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप निधि का प्रबंध सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण किया जाय।

4. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

23/04/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/07–योजना–56/2025 –1736(S) दिनांक – 23/04/26

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका/उपायुक्त, जामताड़ा/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, राँची/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड,

राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (मु0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा–12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/04/2026

सरकार के सयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/07–योजना–56/2025 –1736(S) दिनांक – 23/04/26

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/04/2026

सरकार के सयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/07–योजना–56/2025 –1736(S) दिनांक – 23/04/26

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई–मेल (E-mail) से भेजने एवं ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

23/04/2026

सरकार के सयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।